कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना./स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्रीमती चन्दन बाला पारीक, प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भूपालसागर, जिला चित्तौडगढ का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जावल, जिला भीलवाड़ा किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती चन्दन बाला द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 15765/2019 चन्दन बाला पारीक बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 15765/2019 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.10.2019 द्वारा याचिकार्थी श्रीमती चन्दन बाला पारीक को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा एस. बी. सिविल याचिका संख्या 15035/2019 विमला सोनी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में 10 दिवस के भीतर एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वयं के विधवा होने, स्थानान्तरित स्थान के दूरस्थ होने एवं अपनी विकट पारिवारिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपना पदस्थापन चित्तौडगढ जिले में प्रधानाचार्य के रिक्त पद राउमावि मुगाना, कपासन अथवा राउमावि आकोला, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ में पदस्थापित किये जाने की मांग की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा श्रीमती विमला सोनी बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। याचिकार्थी श्रीमती चन्दन बाला पारीक के **विधवा** होने, उनकी प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों एवं व्यक्तिगत कठिनाईयों को मद्देनजर रखते हुए उनका समायोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुंगाना, कपासन जिला चित्तौडगढ किया जाकर अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है। श्रीमती चन्दन बाला पारीक को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेश की अनुपालना में अपने नवीन समायोजित स्थान पर प्रधानाचार्य के पद पर दिनांक 28.10.2019 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करें अन्यथा उनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/चन्दन बाला/15035/2019 दिनांक 24.10.2019
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर/उदयपुर संभाग, अजमेर/उदयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, भीलवाडा/चित्तौडगढ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, भीलवाडा/चित्तौडगढ।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की पालना तत्काल सुनिश्चित करावें।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्य, श्रीमती चन्दन बाला पारीक, को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)